S No 75 | 10

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

71AA 966016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

असल पर स्टाम्प - 19600/-

नकल द० नं० 5314/2005

सत्य प्रतिलिपि

20-1-2010

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

BD 737725

8 OCT 2010

ओउम

बैनामा मालियत – 8,50,000/- रुपया ।

बाजारी मालियत – 19,60,000/- रुपया ।

सर्किल रेट – 30,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर ।

अदा किया गया स्टाम्प – 1,96,000/- रुपया ।

विवरण विक्रीत आराजी – आराजी वाके मौजा बरौली अहीर तहसील व जिला आगरा खातानंबर 635 खसरा नंबर 941 रकबा 1.302 हैक्टेयर लगानी 30/- रुपया 20 पैसे सालाना में से 1/2 भाग जो कृषिकीय

INDIA NON JUDICIAL

25000

04DD 737726

/2/

भूमि है जिसके आसपास 200 मीटर की परिधि में खेती होरही है जिसमें कोई पेड़ ट्यूबैल व आबादी नहीं है तथा विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है जो मुख्य मार्ग से 1 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है ।

विक्रेता - शोभा नगरी सहकारी आवास समिति लि0 आगरा रजि0 नम्बर 3560 दिनांक 3/6/2005 द्वारा सचिव श्री इनतयाज हुसैन पुत्र स्व0 श्री अखलाक हुसैन निवासी 27/78 गुदड़ी मंसूर खां आगरा ।

क्रेता - तारंग स्टोरेज एण्ड स्टोर्स प्रा0 लि0 सिविल लाइन्स दिल्ली द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री सौमेन्द्र पाठक पुत्र श्री अनीश पाठक निवासी 21 बारहखम्भा रोड सिविल लाइन्स दिल्ली ।

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

0400 737727

/3/

जो कि आराजी वाके मौजा बरौली अहीर तहसील व जिला आगरा खाता संख्या 635 खसरा नंबर 941 रकबा 1.302 हेक्टेयर लगानी 30/- रुपये 20 पैसे साल में से 1/2 भाग की स्वत्व मालिक उक्त विक्रेता समिति है जिसको विक्रेता ने बजरिए बैनामा मविस्सा विरेन्द्र सिंह चौहान दिनांक 13/6/2005 को क्रय किया है जिसकी रजिस्टरी कार्यालय मे मान सब रजिस्ट्रार सदर आगरा में हुई है सिवाय विक्रेता समिति के अन्य कोई हिस्सेदार व शिरकतदार वगैराह किसी तरह का उक्त हिस्सा आराजी में नहीं है और न किसी तरह के दावादारवगैरा जाहीरो और उक्त हिस्सा आराजी मबूरा अब तक हरप्रकार के कर्जे व बार व इंतकालात मसलन रेहनदारियों व जिम्मेदारियों वगैराह से कतई तौर पर पाक व साफ है जिसका कोई इकरार-

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs 20000

03CC 311800

/ii/

नामा किसी के हक में नहीं किया गया है जो नजूल व राजकीय आस्थान की सम्पत्ति नहीं है और विक्रेता उक्त समिति का सचिव है और उसको बहैसियत सचिव उक्त समिति के उक्त हिस्सा आराजी के विक्रय करने के पूरा अधिकार उसको हासिल हैं और अब विक्रेता को बहैसियत सचिव उक्त समिति के उक्त हिस्सा आराजी का विक्रय करना मिलने माकूल कीमत एवज मौजूदा पे मंजूर है ।

लिहाजा विक्रेताने बहैसियत सचिव उक्त समिति के उक्त आराजी को अपनी राजी व खुशी से बिलादबाव बिलावास्ते बिना दबाव

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

03CC 311799

/5/

किसी नाजायज के [illegible] मुश्शा हक हकूक दाखिली व खारिजी के पित एवज़ मुबलिग 8,50,000/- आठ लाख पचास हजार रुपया कि आधे जिसके 4,25,000/- चार लाख पच्चीस हजार रुपया होते हैं [illegible] स्टील्स एण्ड [illegible] प्रा0 लि0 सिविल लाइन्स दिल्ली द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री [illegible] पाठक पुत्र श्री अनील पाठक निवासी 21 [illegible] रोड सिविल लाइन्स दिल्ली को बैय कतई [illegible] और बैय की कीमत का कुल रुपया विक्रेताने [illegible] के वसूल पाना का इकरार पाया है और उक्त रुपया प्राप्त होने केबाद

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

Rs 20000 रु. INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु.

03CC 311798

/6/

03CC 311798

विक्रेता का क्रेता से कुछ लेना शेष नहीं रहा न कोई ताल्लुक व सरोकार हिस्सा आराजी से रहा न आयन्दा में होगा लिहाजा कब्जा व दखल खाली हिस्सा आराजी मज़कूर बैनामा की तारीख से खरीदार का करा दिया और खरीदार को अपने हिस्सा आराजी का स्वामी मालिक काबिज दाखिल व दखील करा दिया अब खरीदार को अधिकार

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

8 OCT 2005

03CC 311797

/7/

है कि उक्त हिस्सा आराजी मज़्कूरे बहैसियत मालिक वाहे मैं लाभान्वित होते हुए अखत्यारात निस्बत हिस्सा आराजी मज़्कूर हस्ब खरीदारको हक मालिकानाहासिल है और आयंदा रहेंगे खरीदार अपने नाम का दाखिल खारिज कागजात सरकारी में करके बैनामा हाजा के दर्ज करालेवें ।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

रुपये

Rs 20000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

Rs 20000 रु.

03CC 311796

(2)

अगर यानी उलहाल कोई वारिस या दावेदार समिति की तरफ से पैदा होकर दावा व झगड़ा खरीदारान करें या जानी वजह मालिकी दीगर वजह से हिस्सा आराजी का कुल व कुल कब्जा व दखल खरीदारान निकल जायें तो देनी

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु.

Rs 5000

भारत

पाँच हजार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

...व कुमार श्रीवास्तव

... 2005

...अधिकारी, ...

/9/

मुतालबात में उस कुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी विक्रेतासमिति व कायम मुकाम विक्रेता समिति की है और होगा खरीदार अपना कुल [illegible] जरिये अदालत वसूल कर लेंगे इसमें विक्रेतासमिति व कायम मुकाम समिति को कुछ उज्र नहीं होगा ।

5000Rs

5000 रु. Rs 5000

भारत

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

...मार श्रीवास्तव
...2015
...कोषागार..., बाराबंकी

/10/

उक्त हिस्सा आराजी कृषिकीय भूमि है जिसका सर्किल रेट 30,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर निर्धारित है जिसपर नियमानुसार स्टाम्प अदा किया गया है तथा स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

भारत

५000रु.

Rs 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

/11/

कीमत अदायगी का विवरण इस प्रकार है :-

मुबलिग 6,50,000/- रूपया बजरिये चैक नंबर 558178 दिनांक 20/10/2005 एच.डी.एफ.सी. बैंक लि0 के द्वारा क्रेता विक्रेता ने पाया है व मुबलिग 2,00,000/- रूपया नकद बैनामा कुल पा लिये मीजान कुल 8,50,000/- रूपया।

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु.

Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

... कुमार श्रीवास्तव
20 OCT 2005
स्टॉ० विक्रेता, ...

/12/

समिति के संचालक मण्डल की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है कि उक्त अधीन समिति के गैर सदस्य को विक्रय कर दी जावें जिसमें उक्त आराजी विक्रय हेतु विक्रेताको अधिकृत किया गया है । जिससे समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है ।

लिहाजा यह बैनामा लिख दिया कि सनद रहे और वक्तपर काम आवे तहरीर तारीख 24/10/2005 ई० व मसौदा हरीशंकर

1000Rs

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु.   Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये   ONE THOUSAND RUPEES

/ 13/

भवानिया एडवोकेट तहसील सदर आगरा व टाइपवाई सुरेश कुमार तहसील परिसर आगरा व इकरार मुकिर के तहरीर किया गया ।

Drafted by
H. S. Lavania
Advocate
Sadar Tehsil
AGRA

नक्शा आराजी वाके मौजा ... परगना आगरा

खसरा नं. 941 रकबा 1.302 हैक्टे. में से ½ भाग यानी

0.651 हैक्टेयर जो कृषि योग्य भूमि है

विक्रेता - ...

क्रेता - ...

... [redacted] ...

नक्शे में ... रंग से दिखाया है।

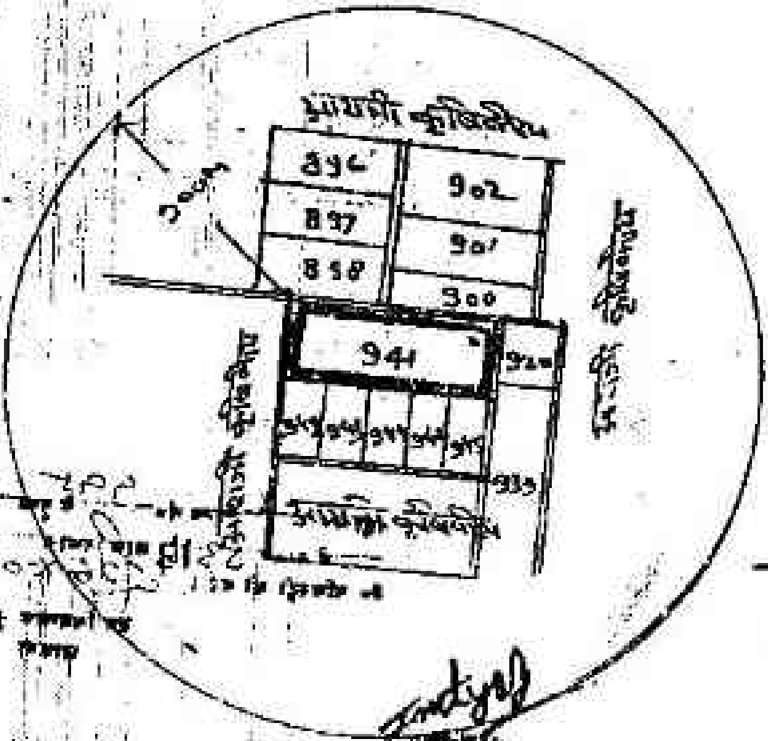

Sarkar

स्टाम्प विक्रय की तिथि — 2456

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन — 24/10/

स्टाम्प [illegible] का नाम व पूरा पता — [illegible]

मुकेश कुमार मौर्य
स्टाम्प विक्रेता
ला०नं० 39, अवधि 31 मार्च 2006
तहसील सदर, आगरा

बही नं० — जिल्द नं० 1995 पृष्ठ 261 से 288

पर क्रमांक 5241 पर रजिस्ट्री की गई।

28-10-03

उप निबन्धक द्वितीय
आगरा

सत्य प्रतिलिपि

20-1-2010